

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 1972/फाल्गुन 3, 1893

No. 41] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 1972/PHALGUNA 3, 1893

इस भाग में भिन्नपृष्ठ सहायी दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 22nd February 1972

**No. DRAWBACK/PN-14/72.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971, with immediate effect:—

1. For Sub-Serial No. 5004 and the entries relating thereto the following shall be substituted:—

| Sub-Sr. No | Description of goods                                                                                                                                                                                                                                                               | Rate of drawback     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5004       | (i) Bicycles complete or in CKD Condition<br>(ii) Components, spare parts and accessories of bicycle other than bicycle spokes, nipples washers, chains, rim liners, saddle covers (made of leather), rubber portion of pedals, tools and tool boxes, cycle pumps, tyres and tubes | 11% of the FOB Value |

*Note*—The above rate is inclusive of drawback on packing materials

2. after Sub-serial No. 5004, the following shall be inserted —

| Sub-Sr. No.                                                         | Description of goods                                | Rate of drawback   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 5005                                                                | Bicycle chains in running length or cut to size     | Rs. 1.45 per kg.   |
| NOTE:—The above rate is inclusive of drawback on packing materials. |                                                     |                    |
| 5006                                                                | Bicycle spokes:—                                    |                    |
|                                                                     | (a) Galvanised spokes without nipples               | Rs. 0.27 per kg.   |
|                                                                     | (b) Nickle plated brass nipples for bicycle spokes. | Rs. 3.09 per kg.   |
|                                                                     | (c) Complete spokes with nipples and washers.       | Rs. 76.75 per Qtl. |

3. The Existing Sub-Serial No. 3805 and 3807 shall be omitted

4. The brand rates fixed for individual manufacturers and exporters in respect of Bicycle chains of any length stand withdrawn

M. PANCHAPPA, Director (Draw back).

क्षिप्त संश्लेष  
(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1972

सं० प्रतिभ्रदायगी/पी० एन०-14/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (दिनांक 25 अगस्त, 1971 के भारत के राजपत्र, अमाधारण, में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-डी०बी०के०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 को सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभ्रदायगी/पी०एन०-1 में प्रकाशित सारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे :—

1. उपक्रम सं० 5004 तथा उसके संबद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

| उप-क्रम सं० | माल का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रतिभ्रदायगी की दर             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5004        | (I) बाइसिकिलों जो पूर्ण हों अथवा सी० के० डी० स्थिति में हों।<br>(II) बाइसिकिलों के संघटक, फालतू पुर्जे तथा उपांग जो बाइसिकिल स्पोकों, चिपिलों, वाशरों, चेन, रिम लाइनर्स, पेडल कवर (चमड़े से निर्मित), पेडलों का रबड़ से निर्मित भाग, ओजार तथा ओजारों के बक्से, साइकिल पम्पों, टायरों तथा टायरों से भिन्न हों। | पोत पर्यन्त मूल्य का 11 प्रतिशत |

टिप्पणी :—उपर्युक्त दर में वैकिंग मरामती पर प्रतिभ्रदायगी सम्मिलित है।

2. उप-क्रम सं० 5004 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा :—

| उप-क्रम सं०                                                                  | माल का विवरण                                                                             | प्रतिअदायगी की दर (रु०) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5005                                                                         | बाइसिकिल चेन्नें जो पूरी लम्बाई की हों अथवा जिन्हें आकार के अनुसार काटा गया हो . . . . . | 1.45 प्रति कि०ग्रा०     |
| <b>टिप्पणी :—</b> उपर्युक्त दर में पैकिंग मागग्री पर प्रतिअदायगी सम्मिलित है |                                                                                          |                         |
| 5006                                                                         | बाइसिकिल स्पोक :                                                                         |                         |
|                                                                              | (क) बिना निपलों जस्तीकृत स्पोक . . . . .                                                 | 0.27 प्रति कि०ग्रा०     |
|                                                                              | (ख) बाइसिकिल स्पोकों के लिए निकल चढ़ाये हुए पीतल के निपिल . . . . .                      | 3.09 प्रति कि० ग्रा०    |
|                                                                              | (ग) निपिलों तथा वाशरों सहित पूर्ण स्पोक . . . . .                                        | 76.75 प्रति विकटल       |

3. विद्यमान उप-क्रम सं० 3805 तथा 3807 को निकाल दिया जायेगा ।

4. बाइसिकिलों की चेन्नें जो किसी भी लम्बाई की हों, उनके सम्बन्ध में व्यक्तिगत निर्माताओं तथा निर्यात कर्ताओं के लिए निर्धारित छापे की दरें वापस ले ली गई समझी जायेंगी ।

एम० पंचप्पा,

निदेशक, प्रतिअदायगी ।

